अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2020 (RCMS 2020/00044) मनफूल सिह जाखड़, इंदिरा चौक नई लाईन, गंगाशहर, बीकानेर (मोबाईल नं. 9694851016) बनाम लो..सूअ. एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनफूल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2019 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री तिलक राज ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाही थी :

> वेद प्रकाश, टीआरए जो राजस्व तहसील पदमपुर में कार्यरत है इस अधिकारी की राजस्व विभाग में जो प्रथम नियुक्ति हुई उस प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें एवं प्रथम नियुक्ति के टाईम कार्यालय में जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया उस जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)()स्था/19/591 दिनांक 10.02.2020 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार, पदमपुर को स्थानान्तरित कर दिया था और तहसीलदार, पदमपुर ने अपने पत्रांक रीडर/2020/1031 दिनांक 18.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवदेन है कि अपीलार्थी मनफूल सिंह जाखड़ आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2019 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में चाही गई सूचना प्राप्त नहीं होने पर आपके समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।
>
> उपरोक्त चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध हो चुकी है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.02.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस आवेदन पत्र को निरस्त समझा जावे।
>
> चूंकि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध हो चुकी है। अतः अपील निरस्त (ड्रॉप) फरमावें।
>
> तहसीलदार (राजस्व)
> पदमपुर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर द्वारा अपीलार्थी को दिया जा चुका है और तहसीलदार, पदमपुर के जवाब के साथ संलग्न प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2020 जो मूल रूप से अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को लिखा गया है में प्रार्थी ने अंकित किया है कि उसे वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है इसलिए उसके आवेदन पत्र को निरस्त समझा जावे।

चूंकि अब अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो जाने के कारण उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर